बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

(भाग 1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि 4 जुलाई, 1983।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या 41, 43, 44 ...	1—13
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 583, 586, 1236 ...	14—25
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) ...	27—70
दैनिक निबंध ...	71

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

सम्मित बैठक को बुलाना।

1305. सर्वश्री रामजी प्रसाद सिंह, शिवनन्दन पासवान एवं शिव नन्दन यादव—क्या मंत्री, कार्मिक विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति आई० ए० एस में करने हेतु चयन समिति की बैठक प्रतिवर्ष होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि संघीय लोक सेवा आयोग, दिल्ली ने बिहार सरकार को उक्त बैठक बुलाने हेतु दिनांक 14-15 दिसम्बर, 1982 निर्धारित किया परन्तु राज्य सरकार ने उसको नहीं माना और बैठक अभीतक नहीं हो सकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार 1982 की सम्बित बैठक को शीघ्र बुलाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, और नहीं, तो क्यों ?

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) संघ लोक सेवा आयोग ने भा० आ० से० के लिए सेलेक्शन कमिटी की बैठक 13 दिसम्बर, 1982 को तथा भा० प्र० से० के लिए 14 दिसम्बर, 1982 को किये जाने का सुझाव दिया था, किन्तु महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों के हित में उक्त तिथियों को बैठक करना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं हो सका, इसकी सूचना यथा समय संघ लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है।

(3) संघ लोक सेवा आयोग को बैठक के संबंध में जो सूचनायें भेजी गयी उसके संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग ने सेलेक्शन कमिटी की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में फिर से प्रस्ताव भेजने के साथ कागजातों की मांग की थी, जो उन्हें भेज दिया गया है। पदाधिकारियों से सम्बन्धित सत्यानिष्ठा प्रमाण-पत्र को भी अतिशीघ्र भेजने की कार्रवाई चल रही है, जिनके बाद ही बैठक बुलाना संभव हो सकेगा।

परिपत्र में संशोधन।

1306. श्री विजय कुमार सिंह—क्या मंत्री, कार्मिक विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि हरिजन/आदिवासी कोटि के सरकारी कर्मचारियों के कल्याणार्थ कुछ विशेष सुविधायें देने हेतु नियुक्ति विभाग द्वारा संकल्प संख्या-3-एस 2-155-70-3617, दिनांक 28 फरवरी, 1971 निर्गत किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सचिवालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों में प्रवर कोटि सहायक के पद पर प्रोन्नति देने के सम्बन्ध में ज्ञाप संख्या-10-परि०-407-80 का०-595, दिनांक 6 जुलाई, 1981 निर्गत किया गया है जिसमें सहायक से प्रवर कोटि के सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु सचिवालय सहायक को विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक बताया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना के हरिजन सहायक श्री कन्हैया लाल द्वारा दायर रिट याचिका सं०-सी० डब्लू० जे० सी० 3954-82 में पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 23 फरवरी, 1983 को हरिजन-आदिवासी सहायकों को प्रवर कोटि के सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु उन्हें कंडिका 1 में वर्णित संकल्प के आलोक में आदेश दिया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आयोजित विहित विभागीय अनुत्तीर्ण होने पर भी हरिजन-आदिवासी सहायकों को प्रवर कोटि पर पद प्रोन्नति दे दी जाय;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-10-परी०-407 8० का०-595, दिनांक 6 जुलाई, 1981 को पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार संशोधित करते हुए आदेश निर्गत करने का विचार रखती है कि हरिजन-आदिवासी सहायक को बिना सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ही प्रवर कोटि के सहायक के पद पर प्रोन्नति दे दी जाए, यदि हाँ तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—उत्तर स्वीकारात्मक है।

कार्मिक विभाग के ज्ञाप संख्या-595, दिनांक 6 जुलाई, 1981 में कहा गया है कि प्रवर कोटि सहायकों के पद पर प्रोन्नति के लिए सहायक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना एवं सम्पुष्ट होना अनिवार्य है। स्पष्ट है कि प्रवर कोटि सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु दोनों शर्तों को पूरा करना है संकल्प संख्या-257, दिनांक 30 मार्च, 1981 में अस्थायी सहायकों को सम्पुष्टि हेतु परीक्षा से ही सिर्फ छूट दी गई है। अतएव प्रवर कोटि सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :—

(3) माननीय उच्च न्यायालय ने सी० डब्लू० जे० सी० न० 3954-82 में यह निर्णय लिया है कि सहायकों की विभागीय परीक्षा एक निर्धारित अवधि के अन्दर आयोजित करायी जाय। यदि निर्धारित अवधि में परीक्षा का आयोजन नहीं कराया

जाता है जो सक्षम पदाधिकारी पेटीशनर श्री कन्हैया लाल को बिना परीक्षा पास किये प्रोन्नति किये जाने पर विचार करेंगे एवं नियमानुसार आदेश देंगे। उच्च न्यायालय के आदेश में यह भी अंकित है कि यदि पेटीशनर विभागीय परीक्षा में बैठते हैं तथा अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में भी दिनांक 24 फरवरी, 1971 के संकल्प के आलोक में पेटीशनर के प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाय।

(4) उपर्युक्त खण्डों के उत्तर से यह स्पष्ट होगा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में परिपत्र सं०-595, दिनांक 6 जुलाई, 1991 को किसी भांति संशोधित करने की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री महतो को परेशान करने का औचित्य।

1397. श्री महेश राम—क्या मंत्री, कार्मिक विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत चास अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी श्री आर० पी० महतो तालाबन्दी खलवाने के लिए दिनांक 17 मई, 1983 को बरोरा एरिया कार्यालय, बाघमारा में अनुमंडल पदाधिकारी, चास को प्रतिनियुक्त किया था जहां उन्हें सुबह 7.30 बजे पहुंचना था;

(2) क्या यह बात सही है कि जीप का यांत्रिक गड़बड़ी के कारण वे आठ बजे बरोरा एरिया कार्यालय, बाघमारा पहुंचे और शान्तिपूर्ण ढंग से शान्ति कायम बनाए रखा;

(3) क्या यह बात सही है कि श्री महतो के आठ बजे यहां पहुंचने के पश्चात् भी अनुमंडल पदाधिकारी, चास ने उपायुक्त, धनबाद को यह सूचना दिनांक 18 मई, 1983 को लिखकर भेज दी कि श्री महतो बरोरा एरिया 8 बजे नहीं पहुंच कर 10 बजे पहुंचे एवं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है;

(4) क्या यह बात सही है कि श्री गोवर्धन सिंह, पिता लालजी सिंह, रात्रि प्रहरी बरोरा एरिया कार्यालय तथा श्री भीम बढ़ई पिता श्री तुलसी बढ़ई माली ने दिनांक 27 मई, 1983 को कार्यपालक पदाधिकारी, श्री नन्दलाल प्रसाद को सत्यापित किया कि श्री महतो 8 बजे ही बरोरा एरिया कार्यालय पहुंचे हैं;

(5) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो एक अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कर्तव्यनिष्ठ श्री महतो को परेशान करने का क्या औचित्य है?